36

COURT FEE — भारत INDIA — दस रुपये TEN RUPEES — Rs.10

COURT FEE — भारत INDIA — दस रुपये TEN RUPEES — Rs.10

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र.   / 2017 विविध II/विविध/सतना/भू.रा./2017/4326

1. कैलाश सिंह पुत्र श्री बृजवासी सिंह कुर्मवंशी
2. इन्द्रपाल सिंह पुत्र बृजवासी सिंह कुर्मवंशी

निवासीगण – मौजा अबेर तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना (म.प्र.)

...... आवेदकगण

श्री मुकेश भार्गव द्वारा आज दि. 8-11-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 8-11-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
पे.दि. 15-11-17

विरूद्ध

1. रामांनद सिंह पुत्र श्री रामावतार सिंह
2. रामानुज सिंह पुत्र श्री रामावतार सिंह
3. बैकुण्ढ सिंह पुत्र श्री रामसुदर्शन सिंह

निवासीगण – मौजा अबेर तहसील रामपुर बघेलान जिला– सतना (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 152 अंतर्गत आवेदन त्रुटि सुधार बावत

माननीय महोदय,

अनावेदक की ओर से निम्नानुसार विनय है कि –

1– यह कि, उपरोक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा प्र.क्र. 674–II/06 निगरानी मं दिनांक 25.7.17 को अंतिम आदेश पारित करते हुये निगरानी निरस्त की है।

2– यह कि, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश दिनांक 25.7.17 में आदेश के पृष्ठ 1 पर आवेदकगण के पिता बृजवासी सिंह के आगे सूर्यवंशी लिख गया है। जबकि कुर्मवंशी लिखा जाना चाहिये था। इसी प्रकार आदेश के पृष्ठ 2 पैरा–2 लाईन नं. 3 में ग्राम उचेहरा टाईप हो गया है जबकि सही ग्राम अबेर है। इसी प्रकार आदेश के पृष्ठ 2 पैरा 4 लाईन नं. 3 बैकुण्ढप्रसाद टाईप हो गया है जबकि बैकुण्ढ सिंह सही नाम है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग—अ

प्रकरण क्रमांक दो/विविध/सतना/भू.रा/2017/4326

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
11-01-18	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित होकर उनके द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 152 के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि राजस्व मण्डल ग्वालियर के प्रकरण कमांक निगरानी 676—दो/06 में पारित आदेश दिनांक 25.07.17 में आदेश के पृष्ठ 1 पर आवेदकगण के पिता बृजवासी सिंह के आगे सूर्यवंशी लिख गया है, जबकि कुर्मवंशी लिखा जाना चाहिये था। इसी प्रकार आदेश कें पृष्ठ 2 पैरा—2 लाईन न0 3 में ग्राम उचेहरा टाईप हो गया है जबकि सही ग्राम अबेर हैं इसी प्रकार आदेश के पृष्ठ 2 पैरा 4 लाईन न0 3 बैकुण्ढ प्रसाद टाईप हो गया है जबकि बैकुण्ढ सिंह सही नाम है। टाइपिंग में हुई त्रुटि को सुधार करने का अनुरोध किया गया है। 2— आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा आदेश के पृष्ठ 1 पर आवेदकगण के पिता बृजवासी सिंह के आगे सूर्यवंशी के स्थान पर कुर्मवंशी पढ़ा जावे। इसी प्रकार आदेश के पृष्ठ 2 पैरा—2 लाईन न0 3 में ग्राम उचेहरा के स्थान पर ग्राम अबेर पढ़ा जावे। इसी प्रकार आदेश के पृष्ठ 2 पैरा 4 लाईन न0 3 बैकुण्ढ प्रसाद के स्थान पर बैकुण्ढ सिंह पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	